



Office Of Joint Director/Fire Officer UJJAIN
UJJAIN Division , UJJAIN
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell
फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100020911/FNOC/COL/2025/2977
आवेदन की तिथि / Application Date : Apr 22, 2025 जावक की तिथि / Dispatch Date : 02-Jul-25
आवेदक का नाम / Applicant Name : DEXTER GLOBAL SCHOOL RUN BY PMV EDUCATION TRUST

आवेदक का पता / Applicant Address : MR.VISHAL GOYAL STRACH FACTORY PARISAR MHOW -
NEEMUCH ROAD , MANDSAUR DISTT-MANDSAUR (M.P.) 458001
अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : Fire Safety Certificate
अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy : Educational Building/ शैक्षणिक भवन
ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 14 (मीटर में / Meter)
भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area: 10580 (Sq.Mtr)
संपत्ति का पता / Property Address : M/S DEXTER GLOBAL SCHOOL BEHIND UPJAIL ,KAILASH
MARG MANDSAUR MANDSAUR NAGAR PALIKA
अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

विषय/Subject- रजिस्ट्रेशन नंबर :- 6100020911 भवन हेतु फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

टिप्पणि / Remarks-

प्रति,

MANAGER,
DEXTER GLOBAL SCHOOL
BEHIND UPJAIL ,KAILASH
MARG MANDSAUR

विषय- DEXTER GLOBAL SCHOOL, BEHIND UPJAIL ,KAILASH, MARG MANDSAUR के 10 मीटर उचे एवं 10580 वर्गमीटर भूमि पर स्थापित शैक्षणिक भवन हेतु "फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट" प्रदाय करने के संबंध में।

आवेदक को पूर्व में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 6100015552/FNOC/COL /2024/9074 Date 12 Jul 2024 से उपरोक्त संदर्भित भवन को फायर प्लान एप्रुवल पत्र जारी किया गया है। कार्यालयीन समिति द्वारा प्रकरण में श्री अजय सिंह राजपूत, तकनीकी सलाहकार (फायर) तथा निकाय के मु.न.पा. अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 18.06.2025 का अवलोकन किया गया। निरीक्षण प्रतिवेदन आवेदक के भवन के स्थल निरीक्षण के दौरान उपकरणों को संचालित कराकर तैयार किया गया है। श्री अजय सिंह राजपूत, तकनीकी सलाहकार (फायर), निकाय के मु.न.पा. अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार फायर सेफ्टी सिस्टम पाया गया तथा स्थल पर स्थापित अग्निशमन उपकरण काम करने की स्थिति में एवं सुरक्षित है, जिसका स्पष्ट उल्लेख निरीक्षण प्रतिवेदन में किया गया है।



Office Of Joint Director/Fire Officer UJJAIN
UJJAIN Division , UJJAIN
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट

Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100020911/FNOC/COL/2025/2977

आवेदन की तिथि / Application Date : Apr 22, 2025 जावक की तिथि / Dispatch Date : 02-Jul-25

आवेदक का नाम / Applicant Name : DEXTER GLOBAL SCHOOL RUN BY PMV EDUCATION TRUST

आवेदक द्वारा प्रस्तावित स्थल पर समिति द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान पाए गए कुल निर्मित क्षेत्रफल 2,904 वर्ग मीटर पर कुल राशि रु. 6,808/- (प्रथम 500 वर्गमीटर पर राशि 2,000/- तथा शेष 2,404 वर्ग मीटर पर 2 रु. प्रति वर्गमीटर की दर से 4,808/-) निकाय में जमा करायी गयी जिसकी रसीद क्र. 78 दिनांक 27.05.2025 प्रस्तुत की गयी।

1) आवेदक को निम्नलिखित प्रावधान एवं शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा -

1. Access
2. Wet Riser
3. Down corner
4. House Reel
5. Automatic sprinkler system
6. Yard Hydrant
7. U.G.Tank with Draw off connection
8. Terrace Tank
9. Fire Pump
10. Terrace Pump
11. First Aid Fire Fighting Appliances
12. Pressurization System
13. Auto Detection system
14. Manual operated electrical fire alarm system
15. P.A system with talk back facility
16. Emergency Light
17. Auto D.G.Set
18. Illuminated Exit Sing
19. Means of Escape
20. Compartmentation
21. MCB/ELCB
22. Firmen Swich in lift
23. House Boxes With Dilivery Hose Branch
24. Refuge Area.



Office Of Joint Director/Fire Officer UJJAIN
UJJAIN Division , UJJAIN
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell
फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100020911/FNOC/COL/2025/2977
आवेदन की तिथि / Application Date : Apr 22, 2025 जावक की तिथि / Dispatch Date : 02-Jul-25
आवेदक का नाम / Applicant Name : DEXTER GLOBAL SCHOOL RUN BY PMV EDUCATION TRUST

- 2) उपरोक्त लिखित 24 बिन्दुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग-4 के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार) को प्रस्तुत फायर प्लान अनुसार स्थापित करना, समस्त फर्स्ट एड एवं अन्य आवश्यक फायर फायटिंग व्यवस्था (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग-4 के अनुसार) करना, भूमि विकास नियम 2012 एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- 3) आवेदक को स्वीकृत अभिन्यास एवं भवन अनुज्ञा में निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा और स्वीकृति से भिन्न निर्माण/उपयोग की सक्षम स्वीकृति लेने हेतु आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
- 4) फायर वाहन के बाधा रहित आवागमन हेतु भवन के स्वीकृत मानचित्र अनुसार एम.ओ.एस. खुला रहना अनिवार्य होगा।
- 5) आवेदक को स्वीकृत भवन अनुज्ञा अवधि में मानचित्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने पर अग्नि प्राधिकारी को अवगत कराना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रदाय की गई एनओसी निरस्त मान्य होगी।
- 6) आवेदक/भवन स्वामी को निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित प्रावधानों के साथ-साथ फायर सेफ्टी हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग-04 में निर्धारित अन्य आवश्यक प्रावधानों एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। स्थल निरीक्षण में इन प्रावधानों का पालन न पाये जाने पर अग्निशमन प्राधिकारी को "फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र" निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
- 7) आवेदक/भवन स्वामी को नियमानुसार स्थापित अग्निशमन उपकरणों का निर्धारण आई.एस. मानकों के अनुसार प्रावधानित समय सीमा में संधारण करना एवं संधारण हेतु आवश्यक अर्हताधारी कर्मचारी रखना अनिवार्य होगा।
- 8) आवेदक/भवन स्वामी को समस्त सक्षम प्राधिकारियों से प्रकरण में प्राप्त अनुज्ञा तथा शर्तों का पालन करना बंधनकारी होगा अन्यथा स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- 9) आवेदक/भवन स्वामी को प्रदाय किया जा रहा "फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र" आदेश दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिये प्रभावशील रहेगी और यह अवधि समाप्त होने के दो माह पूर्व नवीनीकरण हेतु पुनः आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा प्रत्येक वर्ष एनओसी के दिनांक से एक माह पूर्व यह वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा कि सभी उपकरण सुचारु रूप से कार्य कर रहे हैं।
- 10) भवन स्वामी संचालक को प्रत्येक वित्तीय वर्ष 30 जून तक निर्धारित परिशिष्ट एवं प्रारूप में अग्निशमन ऑडिट रिपोर्ट अग्निशमन प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगी

उपरोक्त के अतिरिक्त आवेदक भवन स्वामी को फायर फायटिंग के संचालन हेतु निम्न निर्देशों का पालन करना होगा -

- 1) भवन की फिक्स एवं पोर्टेबल फायर फायटिंग व्यवस्था को हर समय ऑपरेशनल रखा जावे तथा फायर फायटिंग व्यवस्था के संचालन हेतु प्रशिक्षित व्यक्ति रखा जावे जो प्रतिदिन फायर फायटिंग व्यवस्था को चेक करे तथा नियमित रिकार्ड रखा जावे।
- 2) भवन की विद्युत व्यवस्था के रख-रखाव तथा संचालन हेतु एक इलेक्ट्रिशियन की तैनाती की जावे तथा शासन के नियमानुसार समय-समय पर विद्युत ऑडिट कराया जावे।
- 3) भवन में फायर फायटिंग के संचालन हेतु आपातकालीन स्थिति में कार्य करने हेतु स्टॉफ को अधिकृत फायर ऐजेंसी से समय-समय पर प्रशिक्षण दिलाया जावे जिसमें स्टॉफ के सभी मेम्बर आवश्यक रूप से सम्मिलित होंगे। नये स्टॉफ को नियुक्त करने के बाद फायर फायटिंग एवं आपातकालीन स्थिति में कार्य करने का प्रशिक्षण दिलाया जावे जिसका विवरण भवन के मुख्य द्वार पर डिस्प्ले किया जावे। भवन के एग्जिट प्लान की जानकारी सभी मेम्बर को हो यह सुनिश्चित किया जावे।



Office Of Joint Director/Fire Officer UJJAIN
UJJAIN Division , UJJAIN
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell
फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100020911/FNOC/COL/2025/2977
आवेदन की तिथि / Application Date : Apr 22, 2025 जावक की तिथि / Dispatch Date : 02-Jul-25
आवेदक का नाम / Applicant Name : DEXTER GLOBAL SCHOOL RUN BY PMV EDUCATION TRUST

4) समय-समय पर जनरेटर का निर्धारित मरम्मत कार्य आवश्यक रूप से कराया जावे तथा टेस्टिंग रिपोर्ट का रिकार्ड रखा जावे।

अतः उपरोक्त लिखित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत "फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट" जारी किया जाता है।

नोट :- यह प्रमाण पत्र मात्र अग्नि सुरक्षा हेतु है। यह भू-उपयोग या भवन अनुज्ञा को मान्यता प्रदान नहीं करता है और न ही भवन के अधिभोग की अनुमति प्रदान करता है।

**Rajiv
Nigam** Digitally signed
by Rajiv Nigam
Date: 2025.07.02
18:29:33 +05'30'

Joint Director/Fire Officer UJJAIN

UJJAIN Division , UJJAIN
Madhya Pradesh